

प्रेस नोट दिनांक 10-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में सामाहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी एवं पुलिस लाइन्स परिसर का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये ।

आज दिनांक 10-03-2023 को अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में सामाहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई तथा भोजनालय, क्वार्टर गार्ड, चिल्ड्रेन पार्क आदि का निरीक्षण किया गया व पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिस्वार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्ड रजिस्ट्रों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध में सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । परेड के दौरान गर्वित सिंह प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, प्रतिस्वार निरीक्षक भूतनाथ गुप्ता सहित लाइन्स के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी तथा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 10-03-2023 साइबर सेल सिद्धार्थनगर

साइबर सेल सिद्धार्थनगर द्वारा शिकायतकर्ता के खाते से फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹ 19,000/- को वापस कराया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल सुबाष यादव व टीम साइबर सेल द्वारा मो0 साबिर अली ग्राम तुलसिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए मो0 साबिर अली के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹ 19,000/- वापस कराये गए ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता मो0 साबिर अली ग्राम तुलसिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से अज्ञात कारणों से धनराशि 19,000/- का फ्राड हो गया। शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को दी, साइबर सेल टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 08/03/2023 को मो0 साबिर अली के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹ 19,000/- वापस कराया गया। साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए मो0 साबिर अली द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम का विवरण-

- 1- निरीक्षक सुबाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उप निरीक्षक हरीओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- मुख्य आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 7- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।

साइबर क्राइम से कैसे बचे-

- 1-साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादी।
- 2-ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्स्टैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।
- 3-अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।

- 4-वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https ("s" से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।
- 5-ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।
- 6-साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।
- 7-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।
- 8-फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।
- 9-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।
- 10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 पर सम्पर्क करें।

साइबर ठगों से सावधान! जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

#BeCyberSafe #GoodJobCop #UPPolice

प्रेस नोट- दिनांक 10-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर।

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 10-03-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 02परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान म0हे0का0 सविता सिंह व म0 आ0 प्रियम्बदा सिंह म0आ0नेहा सिंह महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

01. माहिरा खातून पत्नी मोहम्मद हारुन साकिन मुडिला थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

02. मेहरुन्निसा पत्नी इजहार अली साकिन सगरा कोल्हुई, थाना सोनहा, जनपद बस्ती।(आवेदिका का पति मुंबई में है आवेदिका को सास के साथ ससुराल भेजा गया)

प्रेस नोट- दिनांक 10.03.2023 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

महिला सशक्तीकरण /मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना चिल्हिया के महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय चिल्हिया बाजार के बच्चों को जागरूक किया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश में जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शिवधारी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 10.03.2023 को महिला कांस्टेबल साधना पासवान व महिला कांस्टेबल नीशू गुप्ता द्वारा प्राथमिक विद्यालय चिल्हिया बाजार में छात्राओं को उनके सम्मान एवं स्वालंबन मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओ, सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महिला सम्बन्धी अधिकारो तथा साइबर अपराध की रोकथाम के बारे जानकारी दी गयी और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन न0 -112,181,1076,1090,1098,102,108 आदि के बारे मे भी बताया गया ।

प्रेस नोट -दिनांक 10.03.2023 थाना मोहाना ,जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जीवन त्रिपाठी, थानाध्यक्ष मोहाना के नेतृत्व में आज दिनांक 10.03.2023 को अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत परिवाद सं0 8156/21 रिजवान बनाम नौसाद अली धारा 392,452,323,504,506 भादवि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तगण 01.नसरुद्दीन उर्फ गोली पुत्र दीन मोहम्मद, 02.विसमिल्लाह पुत्र दीन मोहम्मद निवासीगण बर्डपुर नं0 10 टोला शिवकोट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. नसरुद्दीन उर्फ गोली पुत्र दीन मोहम्मद साकिन बर्डपुर नं0 10 टोला शिवकोट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

2. बिसमिल्लाह पुत्र दीन मोहम्मद साकिन बर्डपुर नं0 10 टोला शिवकोट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. SO जीवन त्रिपाठी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 सभाशंकर यादव चौकी प्रभारी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. उ0नि0 फखरे आलम थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी संजीत पाण्डेय थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. आरक्षी शिवचन गुप्ता थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट:दिनांक 10.03.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 10.03.2023 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा जोगिया कस्बा ,सनई चौराहा ,साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 58 वाहनों से 58500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।